2019/00176

फर्द अहकाम

चीतर बनाम राकर

नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, बस्सी

राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : 101/22

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	
	30/5/22	पत्रावली पेश हुई। P.O. साहब दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त रहने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक 09/06/22 को पेश हो।	
	14/7/22	श्रीमान् जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर के पत्रांक/दौरे श्रे.अ./2022/2301 दिनांक 30.06.2022 के द्वारा न्यायालय अधिकारी बस्सी एवं सहायक कलक्टर बस्सी के मय राजस्व प्रकरणों की सुनवाई का [illegible] परिवर्तित किये जाने की [illegible] सहायक कलक्टर बस्सी को स्थानान्तरित किया जाता है। उपखण्ड अधिकारी बस्सी जिला जयपुर	
		[illegible] श्रीमान् जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर [illegible] जयपुर क्षेत्रान्तर्गत [illegible] हुई है। [illegible] दर्ज रजिस्टर [illegible] को पेश हो। 8/8/22 उपखण्ड कलक्टर बस्सी जिला जयपुर	
	8/8/22	पत्रावली पेश हुई। P.O. साहब दौरे/अन्य कार्य के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक 30/9/22 को पेश हो।	
	30/9/22	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील अपीलार्थी 8 लगा. 14, 16, 26, 27 के वकील पक्ष में उपस्थित है आज उपस्थित नहीं है अतः प्रतिवादी सं. 8 लगा. 14, 16, 26, 27 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी जाती है। वकील प्रार्थी की प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पर बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन करते के पश्चात वाद ग्रस्त अराजी ख.नं. 29, 30/2 कुल किता 2 मय रकबा 4 बीघा 8 बिस्वा स्थित ग्राम गढ़ोली तह. बस्सी जिला जयपुर के सम्बन्ध में उभय पक्षों को वाद के निर्णय तक जारी अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे उक्त वाद ग्रस्त भूमि की वाद के निर्णय तक मौके की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली फायल शुमार होकर वाद तकमील मूल वाद के साथ दर्ज हो।	